

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय को
सम्बोधित करें, अन्य किसी
अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ-226007

सेवा में,

अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली।

विषय :- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25 हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ से सम्बद्ध महाविद्यालयों के एफेलिएटिंग स्तर से मास्टर डाटा सत्यापित करने
एवं प्रोफाइल लॉक करने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपदों के अन्य पिछड़ा
वर्ग कल्याण अधिकारियों एवं महाविद्यालयों से दूरभाष पर एफेलिएटिंग स्तर से मास्टर डाटा को
सत्यापित/अग्रसारित करने एवं प्रोफाइल को लॉक करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी
समय-सारणी, दिनांक 12.07.2024 (संलग्न) के अनुसार मास्टर डाटा से सम्बन्धित प्रक्रिया के
निर्वहन के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (एफिलिएटिंग एजेंसी) स्तर से सम्बद्ध
महाविद्यालयों द्वारा समस्त संलग्नों सहित उपलब्ध कराये गये मास्टर डाटा को निर्धारित
समयावधि में सत्यापित कर अग्रसारित कर दिये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम से सूच्य है कि महाविद्यालयों की प्रोफाइल एफेलिएटिंग स्तर से लॉक
किये जाने के सम्बन्ध में अद्यतन किसी भी स्तर से कोई भी दिशा-निर्देश अप्राप्त हैं, एवं
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पक्ष में अधिकृत लॉगिन/पोर्टल पर महाविद्यालयों की
प्रोफाइल लॉक करने का विकल्प भी उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतः, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके स्तर से कार्यवाही अथवा सम्बन्धित को अवगत
कराना अपेक्षित है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(विद्यानन्द त्रिपाठी)

कुलसचिव

पत्र संख्या 24/ST-1530-31

दिनांक 25/01/25

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, दसवां तल इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग
लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. इचार्ज वेबसाइट, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।


25.1.25
कुलसचिव

**निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश,
10वां तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।**

पत्रांक: 2792/पि0व0क0/2024-25
समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
उ0प्र0।

लखनऊ:

दिनांक 17 जनवरी, 2025

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) हेतु तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 - आई / 853265/2025/64-2010(099)/1 / 2024 दिनांक 16 जनवरी, 2025 (छायाप्रति संलग्न), जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) हेतु तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत की गयी है, का संदर्भ ग्रहण करें।

अतः संयुक्त सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0- आई / 853265/2025/64-2010(099)/1 / 2024 दिनांक 16 जनवरी, 2025 की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है, कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) हेतु तृतीय चरण की निर्गत समय-सारिणी के अनुसार कार्यवाही करें। उक्त समय-सारणी को जनपद के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करें। उक्त समय-सारणी को संबंधित विश्वविद्यालय, संबंधित एफिलिएटिंग एजेन्सी, जिला विद्यालय निरीक्षक एवं संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
संलग्नक-यथोक्त।

17.1.25
(भानु प्रताप यादव)

संयुक्त निदेशक

पृष्ठांक सं0-2792/पि0व0क0/2024-25/तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0- आई / 853265/2025/64-2010(099)/1 / 2024 दिनांक 16 जनवरी, 2025 के क्रम में सूचनार्थ।
- 2-उप महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (राज्य इकाई) योजना भवन लखनऊ को शासन के पत्र सं0- आई / 853265/2025/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 16 जनवरी, 2025 की छायाप्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि योजनान्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 3-समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 5-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

17.1.25
(भानु प्रताप यादव)

संयुक्त निदेशक

प्रेषक,

संजय कुमार दुदे,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
पिछड़ा वर्ग कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 16-01-2025

विषय: वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु) तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2770/पि0व0क0/2024-25, दिनांक 13 जनवरी, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए) आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु तृतीय चरण की समय-सारणी निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर (कक्षा 11-12) एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर संचालित शिक्षण संस्थाओं द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने तथा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण तक की कार्यवाही हेतु प्रथम चरण की समय-सारिणी शासनादेश संख्या- आई/721524/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 02-09-2024 एवं शासनादेश संख्या-आई/789070/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 07-11-2024 द्वारा द्वितीय चरण की समय-सारणी निर्गत की जा चुकी है।

3- अतः आपके पत्र दिनांक 13 जनवरी, 2025 के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु) तृतीय चरण की समय-सारिणी निर्गत की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु) संशोधित (तृतीय चरण) समय-सारिणी

क्र०सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	द्वितीय चरण की समयावधि	प्रस्तावित संशोधित समयावधि
1	मास्टर डाटा सत्यापित तथा लॉक करने की कार्यवाही शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करना:- (शैक्षणिक संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)	31 दिसम्बर, 2024 तक।	20 जनवरी, 2025 तक।
2	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक	05 जनवरी,	22 जनवरी,

	द्वारा फीस आदि का सत्यापन:- प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/ एफिलिएटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को आनलाइन पोर्टल पर अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। (शैक्षणिक संस्थान/ जिला विद्यालय निरीक्षक/एफिलिएटिंग एजेन्सी/ विश्वविद्यालय स्तर)	2025 तक।	2025 तक।
3	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डाटा तथा फीस आदि का सत्यापन:- प्रदेश के अन्दर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित एवं सत्यापित कर डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन लॉक किया जाना। किसी पाठ्यक्रम की निर्धारित शुल्क की भिन्नता की स्थिति में जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति की बैठक में अनुमोदनोपरान्त मास्टर फीस पोर्टल पर लॉक की जायेगी। (पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर) नोट-शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा समस्त स्तर से सत्यापित एवं लॉक होने के उपरान्त ही संस्था आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगी।	10 जनवरी, 2025 तक।	25 जनवरी, 2025 तक।
4	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु छात्रों द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर फाइनल सबमिट आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट निकाल कर समस्त अभिलेखों सहित उसकी हार्डकॉपी शिक्षण संस्था स्तर पर जमा कराया जाना। संशोधित समय-सारिणी अन्तर्गत केवल शुद्ध आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, अशुद्ध/त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। (छात्र स्तर)	अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 21 नवम्बर, 2024 से 15 जनवरी, 2025 तक।	अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु 30 जनवरी, 2025 तक।
5	शिक्षण संस्थान स्तर से छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाना:- संस्था में अध्ययनरत तथा छात्रवृत्ति पोर्टल पर आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों द्वारा आवेदन में अंकित समस्त तथ्यों का अभिलेखीय सत्यापन करते हुए, निर्धारित उपस्थिति मानक पूर्ण करने वाले पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (शिक्षण संस्थान स्तर)	18 जनवरी, 2025 तक।	03 फरवरी, 2025 तक।

	छात्र के आवेदन के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्र के आधार सीडेड बैंक खातों के विवरण को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड करते हुए बेनीफिशियरी का रिसर्प्स प्राप्त किया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)		
6	विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा रिजल्ट अपलोड किया जाना तथा सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा पाठ्यक्रमवार अनुमोदित सीटों के सापेक्ष सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित छात्र संख्या को सत्यापित कर लॉक करेंगे।	18 जनवरी, 2025 तक।	03 फरवरी, 2025 तक।
7	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कूर्टनी किया जाना:- पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल से सत्यापनोपरान्त प्राप्त छात्रवृत्ति आवेदन के डाटा को विभाग द्वारा प्रदान कराये गये बिन्दुओं के आधार पर परीक्षण करते हुए शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा को अलग किया जाना तथा शुद्ध डाटा को सत्यापन हेतु जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)	23 जनवरी, 2025 तक।	10 फरवरी, 2025 तक।
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति द्वारा सत्यापनोपरान्त डाटा लॉक कराया जाना:- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य एन0आई0सी0 द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये शुद्ध तथा संदेहास्पद डाटा का परीक्षण करते हुए जिला छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त पात्र छात्रों का आवेदन सत्यापित कर अग्रसारित किया जाना तथा अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त किया जाना। (जिला छात्रवृत्ति स्वीकृत समिति स्तर)	18 फरवरी, 2025 तक।	18 फरवरी, 2025 तक।
9	राज्य एन0आई0सी0 स्तर से मांग सृजन किया जाना:- जनपद स्तरीय समिति तथा जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी स्तर से सत्यापित तथा लॉक डाटा के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय की लॉगिन/पोर्टल पर मांग उपलब्ध कराया जाना। (राज्य एन0आई0सी0 स्तर)	21 फरवरी, 2025 तक।	21 फरवरी, 2025 तक।
10	निदेशालय स्तर से धनराशि का अन्तरण:- जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैच बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना। (निदेशालय स्तर)	25 फरवरी, 2025 तक।	25 फरवरी, 2025 तक।

4- वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु शासनादेश संख्या-आई/721524/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक 02-09-2024 एवं शासनादेश संख्या-आई/ 789070/2024/64-2010(099)/1/2024 दिनांक

07-11-2024 द्वारा निर्गत निर्देश/शर्तें यथावत रहेंगी।

5- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) में अध्ययनरत छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना में आनलाइन आवेदन से लेकर वितरण का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
Signed by
(संजय कुमार दुबे)
Sanjay Kumar Dubey

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। Date: 16-01-2025 17:43:17

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, समाज कल्याण/ अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निर्देशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण)।
- 4- निर्देशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निर्देशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- निर्देशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निर्देशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निर्देशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण)।
- 10- प्रबंध निर्देशक, श्रीट्रान इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(संजय कुमार दुबे)
संयुक्त सचिव।



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Reimbursement Online System



मा.
मुख्यमंत्री



ए. आ. आ. आ.

Reports Lucknow University

Verify/Edit College Fees

New Institute Verification

Postmatric Other Than Inter Seat
and Forwarded Data Verification
(2024-25)

SCERT/EC

You're in Internet Explorer mode. Most pages work better in Microsoft Edge.

Open in Microsoft Edge



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Reimbursement Online System



मा.
मुख्यमंत्री
जी



१५. १९९०

University Related

Digital Locked Courses

Results Related

Digitally Lock Your Career With
Courses



छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली, उत्तर प्रदेश

Reimbursement Online System



मा.
मुख्यमंत्री



एन.ए.एम.डी.ओ.

University Related Reports

Change Password

Save Profile

Log Out

SCREEN REC

